भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2504**

**(जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है)**

# थोक मूल्य मुद्रास्फीति

**2504. श्री आनंद भदौरिया.:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, थोक मूल्य मुद्रास्फीति मई, 2026 के 9.68 प्रतिशत से बढ़कर जून में 9.87 प्रतिशत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मुद्रास्फीति को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत की सीमा के भीतर नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**वित्त राज्य मंत्री**

**(श्री पंकज चौधरी)**

(**क**) **और** (**ख**): उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईटी) द्वारा मई और जून, 2026 के बीच प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति 9.68 से बढ़कर 9.87 प्रतिशत हो गई। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से उन वस्तुओं की मूल्य वृद्धि से प्रभावित होती है जो वैश्विक ऊर्जा और वस्तु मूल्य उत्तार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। जिनमें विशेषकर, खनिज तेल (पेट्रोलियम उत्पादों सहित), खाद्य वस्तुएं, मूल धातुएं, रसायन और रासायनिक उत्पाद शामिल हैं।

**(ग) से (ङ):** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45य के अनुसार, केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। तदनुसार, आरबीआई अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45यक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031 तक की अवधि के लिए 2% के लोअर टोलरेंस लेवल और 6% के अपर टोलरेंस लेवल के साथ में सरकार ने 25 मार्च, 2026 को मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% अधिसूचित किया है। आरबीआई के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य माप डब्ल्यूपीआई-आधारित मुद्रास्फीति के बजाय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति है। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय रूप से कई उपाय कर रही है। इन उपायों में, अन्य *बातों के साथ-साथ,* आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए बफर स्टॉक में वृद्धि, खुले बाजार में खरीदे गए अनाजों की कार्यनीतिक बिक्री, सुविचारित व्यापार नीतियां, चुनिंदा वस्तुओं की बाजार में और अधिक आपूर्ति करने के लिए स्टॉक सीमाओं को लागू करना**,** रियायती दरों पर भारत ब्रांड के तहत चुनिंदा खाद्य वस्तुओं की खुदरा बिक्री और विशेषकर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण और ₹12 लाख (और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती के साथ ₹12.75 लाख**)** तक की वार्षिक आय में आयकर से छूट देकर व्यक्तियों की प्रयोज्य आय में वृद्धि करना शामिल है। इसके अलावा, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को हाल ही में युक्तिसंगत बनाया गया है, जो विशेष रूप से आम आदमी द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं, जैसे खाद्य उत्पादों, घरेलू वस्तुओं, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, कृषि वस्तुओं और निर्दिष्ट ऑटोमोबाइल आदि के लिए**,** मुद्रास्फीति प्रबंधन का पूरक है। मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कुछ अन्य उपायों में जून 2025 में कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना, महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 2 अप्रैल से 15 जुलाई**,** 2026 तक इसे शून्य करना; साबुत अरहर पर इसे 4 मार्च**,** 2023 से शून्य करना**;** 13 फरवरी 2022 से 7 मार्च**,** 2025 तक मसूर पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को घटाकर शून्य करना; पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर 27 मार्च**,** 2026 से निर्यात शुल्क लगाना; मार्च**,** 2026 में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में ₹10 प्रति लीटर की कमी; और 1 जून से 31 अक्टूबर**,** 2026 तक बीसीडी और एआईडीसी से कच्चे कपास के आयात पर छूट दिया जाना शामिल है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, पिछली दो तिमाहियों में, सीपीआई मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत लक्ष्य - 3.1% (वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही) और 3.9% (वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही) से कम रही है।

*****